कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 06.11.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना खरगूपुर पुलिस ने 01 व थाना तरबगंज पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राधेश्याम पुत्र रामधीरज नि0 लहरूवा मौजा रानीपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–525/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>**सराहनीय कार्य**</u>
<u>**प्रेस नोट**</u>
<u>**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**</u>
<u>**दिनांक 06.11.2023**</u>

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपए 53,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व रु0 53 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

अभियुक्त अब्दुल कादिर द्वारा दिनांक 04.02.2017 को थाना को0 नगर क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले अब्दुल्लाह को गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसमें थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त अब्दुल कादिर को मय आलाकत्ल तमंचा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री मनमोहन मिश्रा, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 नगर के पैरोकार मुख्य आरक्षी आशोक कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0 कोर्ट ने आजीवन कारावास व रुपये 53,000/– के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

<u>**अभियुक्त का नाम पता–**</u>
01. अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल अहद नि0 ग्राम गौरीपुर चिल्लातारा थाना चिल्लातारा जनपद बॉदा।

<u>**पंजीकृत अभियोग–**</u>
01. मु0अ0सं0–161/2017, धारा 302 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–165/2017, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने थाना धानेपुर का किया निरीक्षण–

थाना धानेपुर में नवनिर्मित आधुनिक मालखाना व नवनिर्मित मेस का किया उद्घाटन–

आज दिनांक 06.11.2023 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने थाना धानेपुर का निरीक्षण किया। जिसमें थाना कार्यालय, विवेचना कक्ष, सीसीटीएनएस कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, विवेचना कक्ष, थाना परिसर व आरक्षी बैरक आदि का निरीक्षण किया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना धानेपुर में नवनिर्मित आधुनिक मालखाना व नव निर्मित मेस का फीता काट कर उद्घाटन किया गया साथ ही नवनिर्मित मेस में बने भोजन को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ खाया गया। मेस से पुलिस कर्मियों को काफी सुविधा होगी। मेस की सुविधा से पुलिसकर्मियों का मनोबल ऊँचा रहेगा जिससे पुलिस कर्मी जनता की सेवा में और भी बेहतर तरीके से योगदान दे सकेंगे।